

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी: अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 23/2022 FSSA

- सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।

—आवेदक—

बनाम

- श्री अमित कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता एफबीओ मैसर्स गृहस्थी डिपार्टमेन्टल स्टोर, सैथल मोड, बायपास पुलिया के पास, दौसा, जिला दौसा।

— अभियुक्त—

(जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011)

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

—:आदेश:—

दिनांक:—15.05.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.01.2022 को दोपहर बाद 02.15 बजे मैसर्स :—गृहस्थी डिपार्टमेन्टल स्टोर, सैथल मोड, बायपास पुलिया के पास, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री अमित कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिए कहा, तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया, निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक प्लास्टिक के लूज कट्टे में करीबन 15 किग्रा मिर्च पाउडर (लूज) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जाँच हेतु 2 किग्रा मिर्च पाउडर (लूज) खरीदा। जिसे विक्रेता ने साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की थैली में तौलकर दिया, जिसकी कीमत 300 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया नमूने के लिए खरीदशुदा 2 किग्रा मिर्च पाउडर (लूज) को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बो में बराबर-बराबर डालकर डिब्बो को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बो को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेट कर डिब्बो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए. जी. - 2810 गोंद से चिपकाकर डिब्बो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बाँधकर डिब्बो को चार-चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर डिब्बो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द डिब्बो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक ने मौके पर फार्म न. 5 ए की दो प्रतियाँ तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की, आवेदक ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफबीओ व गवाहन को पढ़कर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहन के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म न. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द डिब्बा एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म न. 6 की दो प्रतियाँ अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द डिब्बा व फार्म न. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 18.01.2022 को खाद्य विश्लेषक, राज, अलवर के यहां जमा करवाये।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा



नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म न. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.01.2022 को डी. ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द डिब्बा व फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.01.2022 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल एस/87/एक्ट/2022/87 दिनांक 28.01.2022 डी. ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना नियम 2.3.14 (15) एफएसएस (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल एस/87/एक्ट/2022/87 दिनांक 28.01.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) के नमूने की जांच में Contravention to the Regulation No. 2.3.14.(15) of FS&S (Prohibition and Restriction on Sale) Regulation 2011 and no person shall sell powered spices and condiments except under packed condition अंकित है। इस प्रकार से अभियुक्त द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) का विक्रय कर नियम 2.3.14 (15) एफएसएसए (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन किया है। अतः धारा 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी एक छोटा दुकानदार है। प्रार्थी को खुले मसाले बेचने के संबंध में जानकारी नहीं थी। प्रार्थी मविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करेगा। कृपया कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करें।


उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल एस/87/एक्ट/2022/87 दिनांक 28.01.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना Contravention to the Regulation No. 2.3.14.(15) of FS&S (Prohibition and Restriction on Sale) Regulation 2011 and no person shall sell powered spices and condiments except under packed condition पाया गया है। जिससे नियम 2.3.14 (15) एफएसएसए (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा नियम 2.3.14 (15) एफएसएसए (Prohibitions and Restrictions on sale) नियम 2011 का उल्लंघन (खुला मसाले बेचना) कर खाद्य



प्रकरण संख्या: 23 / 2022 FSSA
पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अमित कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता एफबीओ मैसर्स गृहस्थी डिपार्टमेंटल स्टोर, सैथल मोड, बायपास पुलिया के पास, दौसा, जिला दौसा(राज0) पर 5,000/-रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 15.05.2026 के एक माह के अन्दर-अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210-04-800-03-00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।
निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अरविन्द शर्मा)


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

क्रमांक: FSSA/26/146-48

दिनांक:- 15.05.2026

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अमित कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता एफबीओ मैसर्स गृहस्थी डिपार्टमेंटल स्टोर, सैथल मोड, बायपास पुलिया के पास, दौसा, जिला दौसा


(अरविन्द शर्मा)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा